



RAJASTHAN STATE MINES AND MINERALS LTD.

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Corporate Office, 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

FAX : (0294)5100305, 2428770 PH: 2428796, 2428763-67

क्रमांक: आरएसएमएम/सीओ/प्रशा/4(30)/2016-1137 दिनांक:- 15/12/2016

कार्यालय आदेश

संस्थान के समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में लागू "चिकित्सा सेवा नियम-2001" के तहत मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची में निम्नलिखित अस्पतालों, क्लिनिकों को भी आदेश जारी होने की तिथी से सम्मिलित किये जाते हैं:-

1. सृजन अस्पताल, 111, आन्नद नगर, आयड़ पुल के पास, उदयपुर को अंत स्ताविका (Endocrinology) संबंधित चिकित्सा परामर्श, समस्त जांचे एवं इलाज हेतु।
2. ए.एस.जी. आई अस्पताल(ASG Eye Hospital), मधुबन, उदयपुर के साथ राजस्थान में अन्य स्थानों पर स्थित क्रमशः जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, पाली, नागौर में ए.एस.जी. आई अस्पताल को आँखों से संबंधित परामर्श, जांच तथा सर्जरी/ऑपरेशन हेतु।

यहाँ यह भी पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त चिकित्सालयों, क्लिनिकों में उपचार हेतु वर्तमान में लागू चिकित्सा नियम यथावत रहेंगे एवं जिन बिमारियों के इलाज से पूर्व प्रबन्धन की अनुमति वांछनीय है, उसी प्रबन्धन से अनुमति लेने के पश्चात् ही कर्मचारी अपना व अपने आश्रितों का इलाज करवा सकेंगे।

(भूपेश माथुर)

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक- वास्ते सूचनार्थ।
2. वित्तीय सलाहकार, कारपोरेट कार्यालय, उदयपुर को सूचनार्थ।
3. समूह महाप्रबन्धक (एसबीयू एण्ड पीसी), रॉक फॉस्फेट/ लिग्नाईट/ जिप्सम/ सलाहकार-लाईमस्टोन कार्यालय।
4. एसीएमओ, कारपोरेट कार्यालय, उदयपुर।
5. रजिस्टर्ड कार्यालय, जयपुर/दिल्ली/कोलकता कार्यालय।
6. समस्त कार्यालयों के सूचना पट्ट।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LTD

(A Government of Rajasthan Enterprise)
Regd. Office : C-89/90, Janpath, Lal Kothi Scheme, Jaipur
CORPORATE OFFICE: 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

क.आरएसएमएम/सीओ/प्रशा/4(30)/2016-1084

दिनांक 01.12.2016

कार्यालय आदेश

संस्थान के समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में लागू "चिकित्सा सेवा नियम-2001" के तहत मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची में निम्नलिखित अस्पतालों, क्लिनिकों को भी आदेश जारी होने की तिथि से सम्मिलित किये जाते हैं:-

1. पॅसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भीलों का बेदला, उदयपुर, सम्पूर्ण तरह के परामर्श, जांच एवं उपचार।
2. पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, अम्बुआ रोड़, ग्राम-उमरड़ा, उदयपुर, सम्पूर्ण तरह के परामर्श, जांच एवं उपचार।
3. मेवाड़ हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड, प्रियदर्शनी नगर, बेदला को ऑर्थोपेडिक एवं न्यूरो सर्जरी सम्बन्धी चिकित्सा परामर्श, समस्त जांचें एवं ऑपरेशन (सर्जरी) हेतु।
4. परतानी ईएनटी हॉस्पिटल, 14, नाकोड़ा काम्पलेक्स को ईएनटी परामर्श, व इनसे सम्बन्धी जांच एवं सर्जरी का उपचार।
5. जयपुर डेन्टल क्लीनिक, 114, मंगलमूर्ती काम्पलेक्स, आईओसी पेट्रोल पम्प के पास, हिरण मगरी सेक्ट-4, उदयपुर को दन्त परामर्श, एवं इससे सम्बन्धित जांच एवं उपचार।
6. अमर आशिष हॉस्पिटल, राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय के पास, पोस्ट ऑफिस रोड़, उदयपुर को हृदय संबंधि परामर्श, जांच एवं उपचार।

यहाँ यह भी पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त चिकित्सालयों, क्लीनिकों में उपचार हेतु वर्तमान में लागू चिकित्सा नियम यथावत रहेंगे एवं जिन बिमारियों के इलाज से पूर्व प्रबन्धन की अनुमति वांछनीय है, उसे प्रबन्धन से अनुमति लेने के पश्चात् ही कर्मचारी अपना व अपने आश्रितों का ईलाज करवा सकेंगे।


(भूपेश माथुर)

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक - वास्ते सूचनार्थ।
2. वित्तीय सलाहकार, कारपोरेट कार्यालय, उदयपुर को सूचनार्थ।
3. समूह महाप्रबन्धक(एसबीयू-पीसी), रॉक फ़ारफ़ेट / लिगनाईट / जिप्सम / सलाहकार-लाईमस्टोन कार्यालय।
4. एसीएमओ, कारपोरेट कार्यालय, उदयपुर।
5. रजिस्टर्ड आफिस, जयपुर / दिल्ली / कोलकाता कार्यालय।
6. समस्त कार्यालयों के सूचना पट्ट।


कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LTD

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Regd. Office: C-89/90, Janpath, Lal Kothi Scheme, Jaipur
CORPORATE OFFICE: 4, Meera Marg, Udaipur - 313 003
FAX: (0294) 2428739, 2428770; PHONE: 2428763-67
E-mail: rsmmj@sancharnet.in, www.rsmm.com

Ref: RSMM/CO/Admn//4(30)12-13/ 296

Date: 08/06/2016

OFFICE ORDER

In terms of existing Medical Attendance Rules, the amendment is hereby made in the present limit for reimbursement of medicines purchased from open market other than Cooperative Store, is increased to Rs. 1200/- per month in place of existing limit of Rs. 800/- per month with effect from 07.06.2016.

This bears approval of the competent authority.


Executive Director (Admn.)

- Cc to: 1. PS to MD
2. All HOD's of SBU & PCs/FA-C.O.
3. All HOD's at C.O.
4. ACOMO Jkt.Mines
5. Notice Board.


Executive Director (Admn.)

8/6/16



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LTD.

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Regd. Office: C-89/90, Janpath, Lal Kothi Scheme, Jaipur

CORPORATE OFFICE: 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

FAX : (0294) 2428770, 5100305; PHONE : 2428794, 2428763-67

E-mail: rsmml@sancharnet.in

No. RSMM/CO/ADM/4(30)/2013- 869

Dated:-02/12/2013
3

OFFICE ORDER

The Management has accorded approval for revision of existing rates / addition of new procedures for Dental treatment at M/s Udaipur Dental Clinic & M/S Bansal Dental Clinic, Udaipur for our employees, their dependant family members and Ex-employees which are as under:-

I) APPROVED REVISED RATES:

S.NO.	TREATMENT	REVISED RATES (RS.)
1.	DENTAL X-RAY (RVG)	50/-
2.	CROWN (NP ALLOY)	1100/-
3.	RCT(ANTERIOR-POSTERIOR)	1400/-
4.	SILVER FILLING	200/-
5.	SCALING & TOOTH POLISHING	500/-
6.	TEMPORARY FILLING	100/-
7.	EXTRACTION	100/-
8.	EXTRACTION OPEN METHOD	300/-
9.	IMPACTION	1400/-
10.	APICECTOMY PER ROOT	900/-
11.	GINGIVECTOMY (PER QUADRANT)	900/-
12.	FILLING OF CAVITIES CLASS-I & IV	200/-
13.	FILLING OF CAVITIES CLASS-II, III & V	400/-
14.	ABSCESS INCISION	100/-

II) RATES FOR NEW PROCEDURES:

S.NO.	TREATMENT	Rates(Rs.)
1.	DENTAL IMPLANTS (ADIN ISRAEL)	4,000/-
2.	FLAP SURGERY (PER QUADRANT)	3000/-
3.	REDUCTION OF FRACTURE OF MANDIBLE OR MAXILLA BY INTER MAXILLARY WIRING	4500/-
4.	TREATMENT OF FRACTURE OF THE JAWS BY INTERNAL FIXATION (PER SITE)	13,000/-
5.	X-RAY (OPG)	350/-
6.	REMOVABLE ACRYLIC PARTIAL DENTURE	300/- Per Tooth

RZ

Contd.....2

QJ